अधिकार (Rights) अर्थ तथा प्रकृति (Meaning and Nature)

जीवित रहने के लिए मनुष्य को निश्चित रूप में कुछ अधिकार प्राप्त होने चाहिए तथा अपने व्यक्तित्व का सर्वाधिक संभव विकास करने के लिए उसे कुछ विशेष अधिकार भी प्राप्त होने चाहिए। यदि राज्य सभ्य जीवन की पहली शर्त है, तो सभ्य जीवन के लिए कुछ विशेष अधिकारों के समूह की आवश्यकता है जो व्यक्ति को मिलने चाहिए।

अधिकार व्यक्ति का वह दावा है जिसे समाज व राज्य की मान्यता प्राप्त होती है। स्पष्ट है कि अधिकार शब्द की समुचित परिभाषा में तीन तत्व निहित है। प्रथम, यह व्यक्ति का दावा है। किन्तु प्रत्येक दावा अधिकार नहीं हो सकता। यह वांछित है कि ऐसा दावा निःस्वार्थी इच्छा के समान होना चाहिए अथवा कोई ऐसी वस्तु हो जो सार्वजनित रूप में लागू हो सके। निर्धारक तत्व यह है कि व्यक्ति जो चाहता है वह सामान्य हित की वस्तु हो। इसका अर्थ है कि किसी दावे पर बल देते समय व्यक्ति ऐसा अनुभव करे मानो वह कोई सार्वजनिक सेवा कर रहा है। अन्य शब्दों में प्रत्येक दावा विवेकसंगत चिन्तन हो न कि मनुष्य की व्यक्तिगत सनक। पुनः व्यक्ति के ऐसे दावे को सामाजिक मान्यता प्राप्त हो। उदाहरण - किसी व्यक्ति का यह दावा कि कोई उसके प्राण न ले सामाजिक मान्यता प्राप्त कर लेता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति वैसी ही कामना करता है। इस प्रकार के दावे की मान्यता से जीवन का अधिकार बनता है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति की इच्छा कि कोई उसकी सम्पत्ति न छीन ले, उसमें यह भावना उत्पन्न करती है कि उसे दूसरों की सम्पत्ति का अपहरण नहीं करना चाहिए। जब इस दावे को सामाजिक मान्यता मिल जाती है तब यह सम्पत्ति का अधिकार बन जाता है। इस प्रकार मान्यता प्राप्त दावे अधिकार का रूप लेते है और यही मान्यता उन्हें अधिकार बना देती है। इस प्रकार अधिकार के दो पहलू है। एक ओर, अधिकार व्यक्ति का वह दावा है जो आत्मचेतना की प्रकृति से उत्पन्न होकर निजी आदर्श वस्तुओं की इच्छा करने

Avinash

Scanned with CamScanner

की अनुमति चाहता है, दूसरी ओर यह उस दावे की समाज द्वारा मान्यता तथा उसमें और उसके द्वारा उन वस्तुओं को पाने के प्रयास में गई शक्ति का योग है। अब हम राजनीतिक मान्यता के बिन्दु पर आते हैं। जब तक वे राज्य द्वारा सुरक्षित नहीं होते तब तक अधिकार नैतिक घोषणाओं के समान हैं। जब लोग अपने आचरण को सामान्य व्यवहार के अनुसार ढालने के संदर्भ में सोचते हैं, तब वे अपनी वास्तविक इच्छा द्वारा निर्देशित होते हैं। परन्तु वास्तविक व्यवहार में, अधिकांश मामलों में, वे अपनी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं से प्रेरित होते हैं, परिणाम होता है अधिकारों की व्यवस्था का उल्लंघन। स्वाभाविक रूप में, इन अधिकारों के प्रयोग को सुनिश्चित बनाने के लिए किसी दमनकारी सत्ता का होना अनिवार्य है। राज्य सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त नैतिक अधिकारों को कानून के रूप में बदल देता है और इस प्रकार इन्हें कानूनी मान्यता प्रदान करता है। पुन: यह व्यक्ति की स्वार्थी इच्छाओं के संचालन को रोकने के लिए दमनकारी अभिकरण की तरह काम करता है।

- गिलक्राइस्ट के शब्दों में, अत: अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना सामान्य रूप में कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विकास नहीं कर सकता। क्योंकि राज्य का अस्तित्व इस उपलब्धि को संभव बनाने के लिए है, अत: अधिकारों को बनाए रखकर ही वह अपने ध्येय को प्राप्त कर सकता है।
- लॉस्की के अनुसार, अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियाँ हैं जिनके अभाव में सामान्यतया कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता है।
- वाइल्ड के अनुसार, अधिकार कुछ विशेष कार्यों को करने की स्वाधीनता की उचित माँग है।
- हॉलैण्ड के शब्दों में, व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्तियों के कार्यों को, स्वयं अपनी शक्ति से नहीं परन्तु समाज के बल पर प्रभावित करने की क्षमता को अधिकार कहते हैं।
- बोसांके के अनुसार, अधिकार वह माँग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है।

Avinash

Scanned with CamScanner